न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/152/2025	2025/370	08.10.2025	15.12.2025

1. मुबीन पुत्र छोटल्ली जाति मेव निवासी ग्राम चौमा तहसील नौगांवा जिला अलवर, राजस्थान

–अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार नौगावां (अलवर) निर्णय दिनांक 18.09.2025 प्रकरण सं० 84/25 वाके ग्राम चौमा, तहसील नौगांवा, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–

01–श्री राजेश जैन –वकील अपी0

01–श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) –राजकीय अधिवक्ता

–:निर्णय:–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 18.09.2025 प्रकरण सं0 84/25 वाके ग्राम चौमा तहसील नौगांवा के विरूद्ध स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 1551 रकबा 0.75 में से 0.18 है०, 1552 रकबा 0.35 है0 में से 0.02 है० किस्म चारागाह वाके ग्राम चौमा पर बाजरा काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है एंव कानूनी कार्यावाही करने की प्रार्थना की। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर दिनांक 18–09–2025 को आदेश पारित कर मिन अपीलान्ट को उपरोक्त आराजी का अतिकमी करार दिया जाकर तीन माह के सिविल कारावास के दण्डित किया जाकर शरह लगान 0.4 के 50 गुणा 20/–रु पैनल्टी आरोपित की गई है।

मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है तथा पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की गई है। सही तथ्य है कि मिन अपीलान्ट की आराजी से लगती हुई उपरोक्त चारागाह भूमी है जिस पर ही काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा चारागाह भूमी पर किसी प्रकार की कोई काश्त नहीं की है। अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति है पटवारी हल्का मिन अपीलान्ट के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए मनमाने रूप से जवाब लिखा प्रस्तुत कराया है जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह बिल्कुल खिलाफ मौका प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका अवलोकन भी नहीं किया है और ना ही कोई पैमाईश करायी है और बेजा तौर पर महज पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है। पूर्व पटवारी द्वारा पूर्व में बेदखल करने का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक व प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर उक्त कार्यावाही की है जबकि मिन अपीलान्ट का ना तो कभी विवादित आराजी पर कब्जा

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

काश्त रहा है और ना ही वर्तमान में है। अधिनरथ न्यायालय के निर्णय से मिन अपीलान्ट को भारी नुकसान है। वर्तमान में विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है मिन अपीलान्ट द्वारा कभी भी सरकारी भूमी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही भविष्य में करेगा जिस बाबत मिन अपीलान्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब नौगांवा का आदेश दिनांक 18–09–2025 निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में कथन किया गया है कि ग्राम चौमा की चारागाह भूमि आ० ख० नं0 1551 रकबा 0.75 में से 0.18 है०, 1552 रकबा 0.35 है0 में से 0.02 है० पर गैर सायल मुबीन पुत्र छोटल्ली जाति मेव निवासी चौमा द्वारा अवैध रूप से बाजरा काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का चौमा व मय ताईद भू० अभि० निरीक्षक वृत चीडवा द्वारा दिनांक 25.07.2025 को प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट गैर सायल मुबीन पुत्र छोटल्ली को राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) के तहत् नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील होने के बाद गैर सायल मुबीन पुत्र छोटल्ली नियत तारीख पेशी पर उपस्थित आया और जवाब प्रस्तुत किया। गैर सायल द्वारा दिये गए जवाब में गैर सायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। गैर सायल द्वारा गत वर्ष भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर बेदखली के आदेश पारित किए गए थे जिसकी पालना में भू०अ० निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.04.2025 को मौके से बेदखल किया जा चुका है। जिसकी ताईद में बेदखली की प्रति संलग्न है। साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी करार दिया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल किए जाने के आदेश दिये गये एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप तीन माह के सिविल कारावास तथा 20/– रूपये पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया जो विधिवत रूप से एवं कानूनन सही निर्णय पारित किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के विद्वान वकील की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है न ही पूर्व में अतिक्रमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रवली पर नहीं है। अपीलार्थी के कथन के अनुसार उक्त विवादित आराजी पर अपीलार्थी ने बाजरा काश्त किया हुआ है जिसकी कटाई होने पर उक्त विवादित आराजी को अपीलार्थी के द्वारा खाली कर दिया गया तथा वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। माननीय राजस्व मण्डल की नजीरों अनुसार जब तक पत्रावली पर पहले बेदखल करने के आदेश/निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ना हो, तब तक उसको पश्चातकर्मी अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। लेकिन तहसीलदार नौगांवा द्वारा भू० अ० निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बिना निर्णय की प्रतिलिपि देखे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास एवं 20/– रूपये की पेनल्टी से दण्डित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय आ० ख० नं0 1551 रकबा 0.75 में से 0.18 है०, 1552 रकबा 0.35 है0 में से 0.02 है० किस्म चारागाह भूमि पर बाजरा की फसल बोकर अतिक्रमण

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

किया गया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर उक्त आराजी पर फसल बाजरा की बुवाई कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है उक्त फसल को काटने के बाद मैं उक्त खसरा नं० को खाली कर दूंगा, अंकित किया हुआ है जिससे अपीलांट अतिक्रमी द्वारा स्वयं अतिक्रमण किया जाना माना गया है एंव पश्चातवर्ती अतिक्रमी के संबंध में उक्त अपीलांट अतिक्रमी को अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं० 55/24 निर्णय दिनांक 23.10.2024 के द्वारा बेदखल किया गया जिसकी पालना में पटवारी हल्का एवं भू० अभिलेख निरिक्षक के द्वारा दिनांक 15.04.2025 को अतिक्रमी अपीलांट को बेदखल किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि चारागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है जो कि गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 18.09.2025 प्रकरण सं० 84/25 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)